संख्या–388/XVI/04/01(38)/04

प्रेषक,

विभा पुरी दास
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त
उत्तरॉचल शासन।

सेवा में,

निदेशक
उत्तरॉचल चाय विकास बोर्ड
अल्मोडा।

उद्यान एवं रेशम अनुभागः

देहरादूनः दिनांक 22 फरवरी,2005

विषयः–उत्तरॉचल के लघु उद्यमियों/चाय उत्पादकों को भारतीय चाय बोर्ड के समतुल्य सहायता राशि उपलब्ध कराया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–38/1–बोर्ड कार्यवाही/2004/दिनांक 30/4/2004 के सन्दर्भ में सम्यक विचारोपरान्त उत्तरॉचल चाय विकास बोर्ड द्वारा उत्तरॉचल के लघु चाय उत्पादकों को भारतीय टी बोर्ड के द्वारा प्रदत्त सहायता राशि के समतुल्य सहायता राशि(मैचिंग ग्रान्ट) प्रदान किए जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं।

2–सहायता राशि प्रति हैक्टेअर 69000.00(उनहत्तर हजार रूपया मात्र) होगी जो अधिकतम 10.12हैक्टेअर के लिये ही उपलब्ध कराई जायेगी।

3–सहायता राशि उत्तरॉचल चाय विकास बोर्ड के द्वारा उनको प्रदत्त अनुदान तथा अपने संसाधनों से प्राप्त आय से उपलब्ध कराई जायेगी। इसके लिए पृथक से शासन द्वारा कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।

4–लाभार्थी कृषक/चाय उत्पादक/लघु उद्यमी को उत्तरॉचल चाय विकास बोर्ड द्वारा पंजीकृत किया जायेगा। बोर्ड द्वारा इस निमित्त योजना को सार्वजनिक किया जायेगा व वृहत् प्रचार प्रसार किया जायेगा।

5–एक हैक्टेअर में 14000 चाय पौधों का रोपण किए जाने हेतु बोर्ड द्वारा आवेदक की भूमि का सर्वेक्षण किया जायेगा, भूमि लाभार्थी के स्वामित्व की तथा चाय पौध के रोपण योग्य होने की स्थिति में रोपण सामग्री(पौध) सहायता राशि के रूप में उपलब्ध कराई जायेगी। इस प्रकार सहायता राशि भारतीय चाय बोर्ड के द्वारा प्रदत्त सहायता रूपये 69,000.00(उनहत्तर हजार रूपये मात्र) प्रति हैक्टेअर के समतुल्य होगी किन्तु यह नगद धनराशि के स्थान पर रोपण सामग्री के रूप में प्रदान की जायेगी।

6–लाभार्थी को अपना परियोजना प्रस्ताव किसी राष्ट्रीयकृत बैंक को प्रस्तुत करना होगा तदनुसार योजना बैंक से वित्त पोषित/स्वीकृत करानी होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कृषक पौध का शत प्रतिशत उपयोग करेगा। सम्बन्धित बैंक से ऋण प्राप्त कर रोपण सामग्री के कुल मूल्य का 50प्रतिशत अर्थात रूपये 35000.00उत्तरॉचल चाय विकास बोर्ड को उपलब्ध कराना होगा तत्पश्चात बोर्ड द्वारा 14000 पौध उपलब्ध कराई जायेगी। पौधारोपण की पश्चात उत्तरॉचल चाय विकास बोर्ड द्वारा भारतीय टी बोर्ड को राजसहायता हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जायेगा। जैसा कि भारतीय टी बोर्ड द्वारा राजसहायता पौधारोपण होने के पश्चात अनुदान उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। भारतीय टी बोर्ड से सहायता राशि प्राप्त होने पर उत्तरॉचल चाय विकास बोर्ड द्वितीय वर्ष में कृषक

से ली गई धनराशि रूपये 35,000.00 उसके ऋण खाते में इस तथ्य के भौतिक सत्यापन के बाद कि लाभार्थी द्वारा पौधों का वास्तव में रोपण किया गया है, जमा कर दिया जायेगा।

7–अपने संसाधनों से पौधों की व्यवस्था करने या स्वयं का पौधालय होने की स्थिति में सम्बन्धित लाभार्थी यदि पौध के रूप में अनुदान लेने में सहमत नहीं है तो इस स्थिति में मैचिंग ग्रान्ट की धनराशि भारतीय टी बोर्ड से अनुदान प्राप्त होने पर उसके ऋण खाते में जमा कर दी जायेगी।

8–यह आदेश वित्त के अशासकीय संख्या–1416/दिनांक 19/2/2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

उत्तरॉचल चाय विकास बोर्ड के द्वारा पौधारोपण तथा बागान विकसित किए जाने से सम्बन्धित तकनीकी सहायता सम्बन्धित कृषक/उद्यमी को निः शुल्क प्रदान की जायेगी।

भवदीय

(विभा पुरी दास)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त

संख्या–388/XVI/04/01(38)/04/तददिनांक:

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषत।

1–निदेशक/अध्यक्ष,भारतीय चाय बोर्ड,24–वी0टी0एम0 सरानी(ब्रावोर्न रोड) कोलकाता।
2–अपर सचिव,वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,भारत सरकार,उद्योग भवन नई दिल्ली।
3–सहायक निदेशक,भारतीय टी बोर्ड,अल्मोड़ा(उत्तरॉचल)
4–वित्त अनुभाग–2
5–स्टाफ आफीसर,मुख्य सचिव,उत्तरॉचल।
6–निजी सचिव, मा0 उद्यान मंत्री जी उत्तरॉचल।
7–निदेशक,उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तरॉचल चौबटिया रानीखेत।
8–निदेशक,राष्ट्रीय सूचना केन्द्र,सचिवालय परिसर,देहरादून।
9–समस्त जिलाधिकारी,उत्तरॉचल।
10–गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(एस0पी0सुबुद्धि)
अपर सचिव